राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी थानागाजी अलवर राज0

राजस्व प्र0 सं0 –01 / 147 / 2019 दर्ज तिथि– 22 / 10 / 2019 निर्णय तिथि– 14.12.2021

अनुवान– 01 हनुमान प्रसाद पुत्र गणपत उम्र 45 साल कौम गुर्जर निवासीयान ग्राम द्वारापुर ढाणी अजबाला तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 – प्रार्थी

बनाम

01. बन्ना पुत्र सेडूराम उम्र 60 साल बैगरा निवासी द्वारापुर ढाणी अजबाला तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 –अप्रार्थीगण

पीठासीन अधिकारी– डॉ नवनीत कुमार 1 (आर0ए0एस0)

वादीगण अधिवक्ता – श्री महेश कुमार शर्मा।

प्रतिवादीगण अधिवक्ता – कोई उपस्थित नही ।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा –188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत स्थाई निषेधाज्ञा ।

तारीख 14.12.2021

–: निर्णय :–

आज यह पत्रावली राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान प्रशासन गावों के संग–2021 शिविर स्थल भारत निर्माण राजीव गॉधी सेवा केन्द्र द्वारापुर तहसील थानागाजी पर वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रा0 पत्र का विवरण संक्षेप में निम्न प्रकार से है–

01. यह है कि वाके ग्राम द्वारापुर तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड व मौका हाल आराजी खाता संख्या 23 में हाल खसरा नम्बर 483 / 269 रकबा 0.68 है0,किस्म चाही द्वितीय स्थित चली आती है। जो आराजी वाद पत्र हाजा में विवादित बयान की गई है।

02. यह है कि उक्तानुसार वर्णित आराजी सालिम मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड व मौका वादीगण व वादीगण के परिजनों रामकिशोर , प्रेम ,सुशीला सुण्डी तथा छोटीदेवी ,नेतराम वगरैहा की निजी कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है। जिस आराजी सालिम पर वादीगण व वादीगण के परिजन हिस्सा मुताबिक जमाबन्दी मौके पर बेहसियत मालिक काबिज एवं दाखिल रहकर बेदस्तूर बिना किसी बाधा / अवरोध के उपयोग– उपभोग कुल कार्यकाश्त करते चले आ रहे है। जिस वादीगण की आराजी से वादीगण के परिजनों के अलावा असल प्रतिवादीगण या अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई लेना –देना संबंध व सरोकार हक हिस्सा किसी प्रकार का नही है।

03. यह है कि असल प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 बडे ही लडाकू व खूखांर किस्म के व्यक्ति है। ,जो जबरन लठ के बल पर वादीगण की उक्तानुसार कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी से वादीगण को मौके पर से बेदखल कर अपना अवैध कब्जा करना चाहते है व वादीगण के कुल कार्य काश्त फसल बोने, काटने ,लाने–ले जाने ,कुल उपयोग –उपभोग में बाधा ड़ालकर वादीगण की आराजी में जबरन पुख्ता निर्माण कर शक्ल मौका बदलकर वादीगण को नाजायज रूप से तंग व परेशान करना चाहते है। जिसका असल प्रतिवादीगण को कानूनन कोई हक व अधिकार नही है।

04. यह है कि दिनांक 14.10.2019 को असल प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत चार अपने परिजनों के साथ एक राय होकर वादीगण की उक्तानुसार कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी पर मौके पर आये एंव वादीगण के कार्य–काश्त उपयोग व उपभोग में रूकावट व मजाहमत पैदा की एंव जबरन लठ के बल पर वादीगण को मौके पर बेदखल करने व पुख्ता निर्माण कर अपना कब्जा करने की जूस्तजू की एंव एलानिया धमकी दी कि हम

Scanned by CamScanner

तुमको तुम्हारी कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी से जबरन लठ के बल पर बेदखल कर मौक पर हमारा कब्जा करके रहेगें व पुख्ता निर्माण कर शवल मौका बदलकर रहेगें व तुमको चैन से कार्य काश्त नही करने देगें। जिससे असल प्रतिवादीगण को कोई कानूनी हक व अधिकार नही है। इसलिए वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाया जाना आवश्यक हुआ है, जिस हेतु यह वाद पत्र पेश हैं।

05. यह है कि यदि असल प्रतिवादीगण ने वादीगण को जबरन लठ के बल पर उनकी कब्जे काश्त खातेदारी ी की मालिकाने हक की आराजी उक्तानुसार से मौके पर बेदखल कर अपना कब्जा कर लिया या आराजी के कुल कार्यकाश्त उपयोग–उपभोग करने बोने,जोतने,काटने,समेंटने, लाने ले जाने में कोई रूकावट व मजाहमत पैदा की या जबरन कोई पुख्ता निर्माण कर दिया तो वादीगण को भारी नुकसान होगा एंव वादीगण की भूखें मरने की नौबत आ जायेगी। जिसकी क्षतिपूर्ति रूपयो या अन्य किसी रूप में नही की जा सकेगी। जिससे असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाया जाना आवश्यक है।जिस हेतु यह वाद पेश है।

06. यह है कि वाद पत्र में तहसीलदार ,थानागाजी को भू–स्वामी की हैसियत से तकमीली प्रतिवादी बनाया गया है , जिनके विरूद्व कोई अनुतोष नही चाहा गया है।

07. यह है कि विवादित आराजी वाके ग्राम द्वारापुर तह0 थानागाजी में स्थित है , जिससे न्यायालय श्रीमान को वाद पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है।

अन्तः मे दावा वादी विरूद्व असल प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया गया–

(क) यह है कि असल प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वो आराजी हाल खाता संख्या 23 में हाल खसरा नम्बर 483/269 रकबा 0.68 है0,किस्म चाही द्वितीय वाके ग्राम द्वारापुर तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 में वादीगण के कुल कार्य काश्त उपयोग–उपभोग करने बोने,जोतने,काटने,समेंटने, लाने ले जाने में कोई रूकावट व मजाहमत पैदा नही करे,, ना ही बेदखल करे तथा वादी की उक्त कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी पर जबरन कोई पुख्ता निर्माण कार्य नही करे,।

(ख) यह है कि खर्चा मुकदमा वादीगण को असल प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

(ग) यह है कि अन्य जो अनुतोष अदालत मुनासिब व साबित समझे बहक वादीगण विरूद्व असल प्रतिवादीगण सादिर फरमाये जाने का निवेदन किया गया। साथ में प्रार्थना पत्र के साथ शपत पत्र भी पेश किया गया ।

वादीगण वाद पत्र जरिये अधिवक्ता एक पक्षीय सुना गया एंव प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । प्रतिवादीगण को तलब करने हेतु विधिवत रूप से तामील करवाई गई। बाद तामील प्रतिवादीगण अनुस्थित रहे एंव न्यायालय द्वारा दिनांक 12.08.2021 को प्रतिवादीगण के विरूद्व अनुपस्थित रहने के कारण एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे प्रशासन गावों के संग अभियान–2021 शिविर स्थल भारत निर्माण राजीव गॉधी सेवा केन्द्र द्वारापुर तहसील थानागाजी पेश हुई। शिविर स्थल पर प्रकरण में सलंग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एंव मनन किया गया । सलंग्न जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 23 में हाल खसरा नम्बर 483/269 रकबा 0.68 है0,किस्म चाही द्वितीय के वादीगण सम्पूर्ण भाग के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। एवं असल प्रतिवादीगण या अन्य किसी दीगर का कोई संबंध व सरोकार नही है, होना प्रमाणित होता है। वादीगण द्वारा वाद पत्र के पैरा संख्या 04 में अंकित किया है कि वादीगण की उपरोक्तानुसार वर्णित आराजी पर असल प्रतिवादीगण जबरन लठ के बल पर कब्जा कर मौके पर से वादीगण को बेदखल करने तथा वादीगण के कुल कार्यकाश्त फसल बोने ,जोतने ,काटने ,लाने ले जाने ,आदि में रूकावट व मजाहमत पैदा करने तथा उक्त आराजी में पुख्ता निर्माण करने की धमकी दी है , अवगत कराया है। यदि असल प्रतिवादीगण ,वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर जबरन कब्जा कर बेदखल कर देते है तो वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी । ऐसी स्थिति को देखते हुऐ असल प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जे काश्त की उक्त वर्णित खातेदारी आराजी पर पाबन्द किया जाना आवश्यक है। जिससे विवादित आरजी वर्णित को लेकर पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का तनाजा उत्पन्न नही हो सके।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् एंव वर्णित तथ्यों के आधार पर दावा वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा के तहत काबिल स्वीकार किया जा कर विरूद्व असल प्रतिवादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Scanned by CamScanner

अतः आदेश है कि:—

दावा वादीगण प्रस्तुत दस्तावेजात् एंव वर्णित तथ्यों के आधार पर स्वीकार किया जाकर दावा वादीगण विरूद्ध असल प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है तथा असल प्रतिवादीगण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा के तहत् पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम द्वारापुर तह0 थानागाजी जिला अलवर में स्थित आराजी हाल खाता संख्या 23 में वर्णित खसरा नम्बर 483/269 रकबा 0.68 है0,किस्म चाही द्वितीय वादीगण के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी में वादीगण के कुल कार्य काश्त फसल बोने,जोतने ,काटने, लाने— ले जाने आदि किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत उत्पन्न नही करे, ना ही वादीगण को मौके पर से जबरन कब्जा कर बेदखल करे तथा मौके पर किसी प्रकार का कोई कच्चा पक्का निर्माण नही करे एंव शक्ल मौका आराजी नही बदले। आदेश जारी हो।

पर्चा डिक्री अलग से तैयार की जाकर पालनार्थ हेतु जारी की जावे । खर्चा अपना वहन करेगें।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 14.12.2021 को राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे प्रशासन गावों के संग अभियान—2021 शिविर स्थल भारत निर्माण राजीव गॉधी सेवा केन्द्र द्वारापुर तह0 थानागाजी पर हस्ताक्षर एवं मुहर से मजमेआम सुनाया गया ।

डॉ नवनीत कुमार1(आरएएस)
कैम्प प्रभारी एंव उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी ,अललवर

Scanned by CamScanner

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी थानागाजी अलवर राज0

निर्णय तिथि– 14.12.2021

राजस्व प्र0 सं0 –01 / 147 / 2019 दर्ज तिथि– 22 / 10 / 2019

अनुवान– 01 हनुमान प्रसाद पुत्र गणपत उम्र 45 साल कौम गुर्जर निवासीयान ग्राम द्वारापुर ढाणी अजबाला तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 – वादी

बनाम

01. बन्ना पुत्र सेडूराम उम्र 60 साल वैगरा निवासी द्वारापुर ढाणी अजबाला तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 –असल प्रतिवादीगण

पीठासीन अधिकारी– डॉ नवनीत कुमार 1 (आर0ए0एस0)

वादीगण अधिवक्ता – श्री महेश कुमार शर्मा।

प्रतिवादीगण अधिवक्ता – कोई उपस्थित नही ।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा –188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत स्थाई निषेधाज्ञा ।

तारीख 14.12.2021

–: पर्चा डिक्री :–

दावा वादीगण विरूद्व असल प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है तथा असल प्रतिवादीगण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा के तहत् पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम द्वारापुर तह0 थानागाजी जिला अलवर में स्थित आराजी हाल खाता संख्या 23 में वर्णित खसरा नम्बर 483 / 269 रकबा 0.68 है0,किस्म चाही द्वितीय वादीगण के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी में वादीगण के कुल कार्य काश्त फसल बोने,जोतने ,काटने, लाने– ले जाने आदि किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत उत्पन्न नही करे, ना ही वादीगण को मौके पर से जबरन कब्जा कर बेदखल करे तथा मौके पर किसी प्रकार का कोई कच्चा पक्का निर्माण नही करे एंव शक्ल मौका आराजी नही बदले। आदेश जारी हो।

पर्चा डिक्री तैयार की जाकर पालनार्थ हेतु जारी हो। खर्चा अपना वहन करेगें।

यह पर्चा डिक्री मेरे द्वारा लिखवाई जाकर आज दिनांक 14.12.2021 को राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे प्रशासन गावों के संग अभियान–2021 शिविर स्थल भारत निर्माण राजीव गॉधी सेवा केन्द्र द्वारापुर तह0 थानागाजी पर हस्ताक्षर एवं मुहर से मजमेआम सुनाया जाकर जारी की गई।

डॉ नवनीत कुमार1(आरएएस)
कैम्प प्रभारी एंव उपखण्ड़ अधिकारी
थानागाजी ,अललवर

Scanned by CamScanner